छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

नाम		**फोटो (स्वहस्ताक्षरित)**
जन्म तिथि	दिन.................. माह .... वर्ष.................	
पिता का नाम		
पिता का वर्तमान व्यवसाय		
परिवार की वार्षिक आय		
माता का नाम		
स्थाई निवास का पता (मय पिन कोड)		
वर्तमान निवास का पता (मय पिन कोड)		
मूल निवास स्थान		
मोबाईल फोन (स्वयं एवम् माता, पिता का)		आधार संख्या :–
वोटर आई डी कार्ड नम्बर		पैन काड नम्बर :–

शैक्षणिक उपलब्धियॉ			
(अ) कक्षा 1 से कक्षा 9 तक	विद्यालय का नाम व पता		
(ब) कक्षा 10 वी	विद्यालय का नाम व पता		
	वर्ष :–	प्राप्तांक प्रतिशत :–	विषय :–
(स) कक्षा 12 वी	विद्यालय का नाम व पता		
	वर्ष :–	प्राप्तांक प्रतिशत :–	विषय :–
(द) स्नातक परीक्षा	यूनिवर्सिटी / कॉलेज का नाम व पता		
	वर्ष :–	प्राप्तांक प्रतिशत :–	विषय :–
(य) स्नाकोत्तर परीक्षा	यूनिवर्सिटी / कॉलेज का नाम व पता		
	वर्ष :–	प्राप्तांक प्रतिशत :–	विषय :–

छात्रावास में प्रवेश चाहने का कारण :

यदि प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है तो प्रतियोगी परीक्षा का पूर्ण विवरण :

यदि किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया गया है तो पूर्ण विवरण :

पूर्व में दी गई प्रतियोगी परीक्षाओ (यदि कोई है) का पूर्ण विवरण :

वाहन (यदि कोई है) का पूर्ण विवरण मय रजिस्ट्रेशन नम्बर :

<u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :</u>

1. जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र ।
2. आधार / पैन कार्ड / वोटर आई डी कार्ड की फोटो प्रति, स्व हस्ताक्षरित ।
3. स्थाई / वर्तमान पते के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज ।
4. शैक्षणिक उपलब्धियॉ सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रतियॉ।
5. कोचिंग संस्थान / प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश सम्बन्धी दस्तावेजो की प्रतियॉ ।
6. पूर्व में दी गई प्रतियोगी परीक्षाओं के विवरण सम्बन्धी दस्तावेजो की प्रतियॉ ।
7. नौकरी / व्यवसाय से संबधित दस्तावेजो की प्रतियॉ)यदि लागू हो) ।

नोट :– उपरोक्त विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में छात्र का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परिवर्तन की सूचना छात्रावास अधीक्षक को लिखित में देगा ।

<u>**छात्रावास नियमावली**</u>

1. छात्रावास में रहने हेतु केवल उन्हीं छात्रों (बालकों) को प्रवेश दिया जायेगा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु जयपुर के बाहर से आकर जयपुर रहना चाहते हो। केवल दिगम्बर जैन समुदाय के छात्र ही प्रवेश के लिए योग्य होंगे। सामान्यतः राजस्थान के मूल निवासी छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. किसी भी छात्र को अधिकतम एक वर्ष व न्यूनतम एक माह की अवधि की लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। अधिकतम अवधि पूर्ण करने बाद सामान्यतः छात्रावास छोड़ना होगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में छात्रावास की प्रबन्ध समिति द्वारा इस अवधि में छः माह तक की वृद्धि की जा सकेगी।
3. प्रत्येक छात्र को छात्रावास में प्रवेश से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन व सम्बन्धित दस्तावेज देने होंगे। किसी भी छात्र को प्रवेश देने या न देने सम्बन्धी पूर्ण अधिकार छात्रावास की प्रबन्ध समिति को होगा।
4. प्रत्येक छात्र से प्रवेश पूर्व धरोहर राशि जमा की जायेगी। यह राशि छात्र द्वारा छात्रावास को देय बकाया राशि या छात्रावास के साजो-सामान की क्षतिपूर्ति के विरुद्ध छात्रावास अधीक्षक द्वारा समायोजित की जा सकेगी। छात्रावास छोडने पर सम्बन्धित छात्र को शेष रही असमायोजित धरोहर राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
5. प्रत्येक छात्र से छात्रावास में रहने हेतु प्रतिमाह निर्धारित शुल्क अग्रिम रूप से पिछले माह के अंतिम सप्ताह में वसूल किया जायेगा शुल्क अदा न करने पर छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्र को चेतावनी दी जावेगी तथा चेतावनी के उपरान्त भी तीन दिवस में शुल्क जमा न कराने पर छात्र को छात्रावास तत्काल खाली करने हेतु आदेशित किया जावेगा। शुल्क सम्बन्धी नियम परिशिष्ठ-1 अनुसार होगे।
6. छात्रावास में रहने वाले छात्रों को निम्नलिखित सामान्य नियमों की पालना करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रावास अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित छात्र को लिखित नोटिस देकर तीन दिन में जवाब मांगा जावेगा तथा संतोषजनक उत्तर न आने पर सम्बन्धित छात्र को छात्रावास छोड़ने का आदेश अधीक्षक द्वारा दिया जायेगा :-
   a. छात्रों को छात्रावास में आने-जाने की समय सीमाओं की पालना करनी होगी जो छात्रावास अधीक्षक द्वारा निर्धारित की जायेगी।
   b. छात्रावास में कहीं भी छात्रों को किसी प्रकार का भोजन आदि बनाने / पकाने की मनाही होगी।
   c. छात्रों को किसी भी प्रकार से अंडा, मांस/ मछली / सिगरेट / शराब / नशा आदि का सेवन करना पूर्णत वर्जित होगा।
   d. छात्रों द्वारा छात्रावास में रहकर शोर-गुल करने, ऊँची आवाज में रेडियो / टीवी आदि चलाने व अन्य छात्रों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान करने पर पूर्ण पाबन्दी होगी।
   e. छात्रावास में प्रवेशित छात्रों के अतिरिक्त बाहरी किसी भी व्यक्ति को में ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी। यदि बाहर से उनके परिचित या पेरेन्टस आते हैं तो उनसे छात्रावास के बाहर/रिसेप्शन में मिल सकेंगे।
   f. छात्रों को अपना वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही रखना होगा। तथापि वाहन की चोरी की जिम्मेदारी संस्थान/छात्रावास की नही होगी।
   g. छात्रावास अधीक्षक एवम छात्रावास की प्रबन्ध समिति के सदस्यों तथा दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी की प्रबन्धकारिणी कमेटी के सदस्यों द्वारा किसी भी दिन छात्रावास व छात्रावास के कमरों आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा।
   h. छात्र को आवंटित कमरे में किसी प्रकार की टूट-फूट होने सामान खो जाने या अन्य कोई हानि होने पर छात्र से उचित राशि की वसूली छात्रावास अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
   i. समय समय पर छात्र द्वारा की गई शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा की जावेगी। समीक्षा उपरान्त यदि यह पाया जाता है कि किसी छात्र द्वारा समुचित प्रगति नहीं की जा रही है तो उस छात्र को छात्रावास खाली करने का आदेश दिया जावेगा।
   j. प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा कि यदि किसी कारणवश व रात्रि में छात्रावास से बाहर रहना चाहता है तो इसकी लिखित सूचना वह छात्रावास अधीक्षक को देगा।
   k. छात्रावास के कमरे के अन्दर दीवार पर कील, पोस्टर आदि लगाने की अनुमति नहीं होगी। अतिआवश्यक होने पर छात्रावास अधीक्षक को सूचित कर सहमति लेनी होगी।
   l. कचरा कमरे में रखे कचरा पात्र में इकट्ठा करना होगा।
   m. कमरे के बाहर गेलेरी / पोर्च में चप्पल जूते एवं अन्य सामान नहीं रखा जायेगा तथा कपड़े आदि गेलेरी / पोर्च में सुखाना वर्जित होगा।

परिशिष्ट - 1

छात्रावास में प्रवेशित छात्रों से वसूल योग्य धरोहर राशि तथा मासिक शुल्क का विवरण व नियमावली :-

1. प्रत्येक छात्र से रु. 10,000/- परोहर राशि के रूप में जमा किये जायेंगे। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह धरोहर राशि छात्र द्वारा नियमों का पालन न करने पर जप्त की जा सकेगी।
2. प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह अग्रिम रूप से मासिक रू. 5,000/- छात्रावास रख-रखाव प्रवास स्वरूप चुकाने होंगे।
3. प्रातः काल नाश्ता व दो समय भोजन का शुल्क रू. 200 प्रतिदिन पृथक् से सीधे ही संबंधित कांट्रेक्टर को देय होगा।
4. बिजली खर्च हेतु छात्र को पृथक से मीटर रीडिंग अनुसार रू.12/- प्रति यूनिट (अथवा जो राशि भविष्य में बिजली खर्च को देखते हुये निर्धारित की जावे) चुकानी होगी। एक कमरे में दो छात्रों के रहने की दशा में बिजली खर्च दोनों छात्रों द्वारा समानुपातिक रूप से वहन किया जावेगा।
5. यदि संस्थान द्वारा छात्रों को छात्रावास में कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी सुविधा हेतु आवश्यक होने पर अतिरिक्त शुल्क छात्रावास की प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।